भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1262
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियां

1262. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीतियां बनाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनसंख्या में वृद्धि से संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है और इससे संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (घ): भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की अध्यक्षता वाले टेक्नीकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन (टीजीपीपी) की जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में देश में अनुमानित जनसंख्या 138.81 करोड़ है।

सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के सिद्धातों द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सर्वोच्च वरीयता देती है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सरकार के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस दिशा में निम्नलिखित प्रगति हुई है:

- वर्ष **2015-16** (एनएफएचएस 4) के दौरान **कुल प्रजनन दर** (टीएफआर) **2.2** से घटकर वर्ष **2019-21** (एनएफएचएस 5) में **2.0** हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
- **36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 31** ने प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन क्षमता (एनएफएचएस 5) प्राप्त कर ली है।
- वर्ष **2015-16** (एनएफएचएस 4) के दौरान **आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग 47.8%** से **बढ़कर** वर्ष **2019-21** (एनएफएचएस 5) में **56.5%** हो गया है।
- वर्ष **2015-16** (एनएफएचएस 4) के दौरान **परिवार नियोजन के लिए अपूर्ण आवश्यकता 12.9%** थी, जो वर्ष **2019-21** (एनएफएचएस 5) में घटकर **9.4%** रह गई है।
- वर्ष **2015** (एसआरएस) में **अशोधित जन्म दर** (सीबीआर) **20.8** थी, जो वर्ष **2020** (एसआरएस) में घटकर **19.5** हो गई है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफल उपलब्धियों के मद्देनज़र वर्तमान में देश में अन्य नीति बनाने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****